

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ. 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक : 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक : 25.04.12 के अन्तर्गत श्रीमती आरती खण्डेलवाल व्या. गृह विज्ञान, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विधालय जयपुर को इनके आवेदन की दिनांक 19.11.18 से उनके मूल वेतन का 6 प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।




(नथनल डिडेल)

आदेश सं. 14  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक : 14.02.19

क्रमांक : शि/देरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विकलांग भत्ता/2018-19  
प्रतिनिधि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, जयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (ना) मुख्यालय, जयपुर
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर
5. संबंधित संस्था प्रधान,
6. संबंधित कार्मिक,
7. सिस्टम एनेलिसिस कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8. सिजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर